

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 970] No. 970] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2017/अग्रहायण 10, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1473(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 3 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु अपवादिक परिस्थितियों में अध्यक्ष एक सदस्यीय न्यायपीठ का गठन कर सकेगा ।"

[फा.सं. 17(52)/2017-पीएल/एनजीटी]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

7008 GI/2017 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

- G.S.R. 1473(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 4 read with section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes following rules to amend the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011, in rule 3, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in exceptional circumstances the Chairperson may constitute a single Member bench.".

[F. No. 17(52)/2017-PL/NGT]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 296(E), dated the 4th April, 2011.